न्यायालय अति.जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 67/2022 आवन्टन निरस्त

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा	बनाम	1. देउ पत्नी सोराम रेगर निवासी बांका तहसील बिजौलिया
–प्रार्थी		–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित –
1. राजकीय अधिवक्ता – प्रार्थी की ओर से
2. श्री राकेश सुराणा अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.03.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) विरूद्व विपक्षी के प्रेषित कर निवेदन किया कि विपक्षी को ग्राम बांका तहसील बिजौलिया की आ.न. 1214/184 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय में दायर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

प्रकरण में प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी को ग्राम बांका तहसील बिजौलिया की आ.न. 1214/184 रकबा 0.4856 हैक्ट. भूमि का आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गयी। आवंटी के नाम गैर खातेदारी दर्ज रेकॉर्ड है। आवंटी (अप्रार्थी) द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं कर उल्लंघना की है। आवंटित भूमि पर आवंटी का मौके पर कब्जा व काश्त नहीं है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर बिलानाम सरकार दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि विपक्षी ने आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना कर लगातार कृषि कार्य किया हैं। पटवारी हल्का द्वारा यदि निरन्तर जिन्सवारी नही की गयी हैं तो इसमें विपक्षी की क्या गलती हैं? राजस्व नियमावली के अनुसार आवंटी को राज. भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)